

## पावर ब्रिड कोपींरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited

सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007

केन्द्रीय कार्यालय, 'सीदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007 Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/M-82 Dated: 22 January, 2019

Shri Kanchan Kumar, Kanchan Kumar, Village-Ashoknagar, Post-Noulakhi, Bhaya-Murliganj, Distt-Purnia,,

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Sir/Madam,

This has reference to your RTI request dated 27 December, 2019 for providing information under RTI Act, 2005.

The desired information is attached at Annexure-I.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Sanjeev Singh,
Executive Director (CMG) & Director (

Thanking you,

भवटीय.

जमनीर मिंट।

वरिश्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Annexyre-I

## RTI application dated 27.12.2018 of Sh. Kanchan Kumar

Serial No	RTI Question	Reply
1	पावरग्रिड उपकेंद्र पूर्णिया (बिहार) के जिस	
	अधिकारी /कर्मचारी के द्वारा यह वितीय	
	अनियमितता बरती गई है, उसकी	
	पावरग्रिड पूर्णिया में ही पद्स्थापित रहने	
	से जांच प्रभावित हो सकती है या नहीं,	
	स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराएं।	
		यह सबंधित केस के जांच
2	अरुण कुमार सिंह, अपर महाप्रबंधक ,	अधिकारी व सक्षम अधिकारी
	पावरग्रिड, पूर्णिया में ही पदस्थापित रहने	
	से इस जांच को प्रभावित भी कर सकते	
	हैं या नहीं, स्पष्ट सूचना उपलब्ध	
	कराएं ।	
3	क्या मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावरग्रिड	
	स्वतंत्र है कि जब तक चाहे ऐसे मामले	
	को जाच के लिये जारी रखे। स्पष्ट सूचना	
	उपलब्ध कराएं ।	
4	जांच समाप्त हो गई हो तो रिपोर्ट की	जाँच अभी जारी है ।
	प्रति उपलब्ध कराएं	

